UPBJ010067172022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 2929/2022

दिनांक 12–10–2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण जागेन्द्र उर्फ जनेन्द्र, सीटू उर्फ हरीश, नीटू उर्फ सतपाल, रामनारायण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा सत्र परीक्षण सं0 515/2022 अन्तर्गत धारा 323,406,427,354ख भा0द0स0 व धारा 3(1)द ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनोर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अतः वादी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मजदूर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है,विपक्षीगण उपरोक्त स्वर्ण जाति के चौहान है और आये दिन गरीब लोगो से मजदूरी कराकर मजदूरी न देने व अत्याचार करने के आदी है। प्रार्थी ने विपक्षीगण के यहॉ फर्श लिसाई का काम मजदूरी पर 400/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से एक माह तक किया जिसके 12,000/– रूपये मजदूरी के विपक्षीगण पर वाजिब है। प्रार्थी के साथ राज मिस्त्री का कार्य संजीव ने किया जो प्रार्थी के गांव का है। दिनांक 29–08–2021 को 7 बजे शाम प्रार्थी विपक्षीगण जागेन्द्र ,सीटू, नीटू, रामनारायण के घर अपनी मजदूरी के पैसे मांगने गया तो विपक्षीगण ने एक राय होकर कहा कि तू अपने घर जा और अभी मजदूरी के पैसे लेकर आते है। प्रार्थी अपने घर आ गया। विपक्षीगण उपरोक्त चारो व दो व्यक्ति अज्ञात को साथ लेकर हाथो में डण्डे लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और प्रार्थी को गन्दी–गन्दी गालिया साले चमार के चमार चट्टा कहते हुए जान से मारने की धमकियॉ देते हुए और जान से मारने की नीयत से प्रार्थी को बुरी तरह से लात घूसो व डण्डो से मारपीट करनी शुरू कर दी। प्रार्थी को बचाने प्रार्थी की माता प्रकाशो आयी तो विपक्षीगण ने प्रार्थी की मॉ प्रकाशो को भी मारपीट किया और उसके साथ अश्लील हरकते की और उसके कपड़े फाड़ दिये और नंगा कर दिया। बड़ी मुश्किल से शोर की आवाज पर हेमराज व जोगेन्द्र आदि आ गये जिन्होने वाका

देखा और हमे बचाया। विपक्षीगण ने घर के अन्दर तोड़फोड़ की और लगभग 20,000/– रूपये का नुकसान कर दिया और जाते समय धमकी दी कि साले चमार के थाने रिपोर्ट लिखाने गया तो तुझे जान सेमार देगे। विपक्षीगण पैसे वाले दबंग लोग है और पेशबंदी मे प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत थाने में कर दी ताकि प्रार्थी को मजदूरी के पैसे न देने पड़े। पूरे गांव में प्रार्थी को अपमानित किया है। प्रार्थी बड़ी मुश्किल से थाने गया तो थाने वालो ने टाल दिया। प्रार्थी अपनी माता को लेकर संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर आया और अपनी मॉ का डाक्टरी मुआयना कराया। डाक्टरी मुआयने में मॉ के शरीर पर काफी चोटे पायी गयी है जो विपक्षीगण द्वारा पहुॅचाई गयी है और प्रार्थी का डाक्टरी मुआयना नहीं किया और प्रार्थी को दवाई देकर टाल दिया। प्रार्थी की माता को एक्सरे की सलाह भी दी गयी थी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30–08–2021 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिया जिसपर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मे कथन कर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है वे निर्दोष है, उन्होने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। चुटहिल प्रकाशो का फर्जी डाक्टरी मुआयना कराया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वे अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध कर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण पर अन्य सहः अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को गन्दी–2 गालिया देने, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये वादी की माता प्रकाश जब उसे बचाने आयी तो उसके साथ छेड़छाड़ किये जाने का आरोप है। यह कहा गया कि आवेदकगण द्वारा वादी के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुय अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जागेन्द्र उर्फ जनेन्द्र, सीटू उर्फ हरीश, नीटू उर्फ सतपाल व रामनारायण की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा सत्र परीक्षण सं0 515/2022 अन्तर्गत धारा 323,406,427,354ख भा0द0स0 व धारा 3(1)द ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनोर के प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा बीस बीस हजार रूपये की दो दो जमानतें तथा इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट,
बिजनौर।